UPMO010016262026

न्यायालय–सत्र न्यायाधीश, मुरादाबाद।

पीठासीन अधिकारी–सै0 माऊज़ बिन आसिम, (एच0जे0एस0) JO Code No-UP1895

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–534/2026

1. मौ0 उस्मान उम्र करीब 50 वर्ष पुत्र जमालुददीन
2. इमरान उम्र करीब 48 वर्ष पुत्र जमालुददीन
3. इस्लाम उम्र करीब 46 वर्ष पुत्र जमालुददीन
4. रिजवान उम्र करीब 31 वर्ष पुत्र उस्मान
5. शाहरूख खान उम्र करीब 30 वर्ष पुत्र उस्मान
6. सलमान उम्र करीब 25 वर्ष पुत्र उस्मान

समस्त निवासीगण–चमरूआ, थाना मूढापाण्डे, जनपद मुरादाबाद

..... आवेदक/अभियुक्तगण।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक), मुरादाबाद।

.....अभियोजक।

मुकदमा अपराध संख्या–579/2024
धारा–191(2), 191(3), 190, 109(1), 352 बी0एन0एस0
थाना मूढापाण्डे, जिला मुरादाबाद।

06.03.2026

1– अग्रिम जमानत हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ। आवेदक/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) उपस्थित।

2– प्रार्थी/अभियुक्तगण मौहम्मद उस्मान, इमरान, इस्लाम, रिजवान, शाहरूख खान व सलमान की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–579/2024, धारा–191(2), 191(3), 190, 109(1), 352 बी0एन0एस0, थाना मूढापाण्डे, जिला मुरादाबाद के सम्बन्ध में अग्रिम जमानत हेतु यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3– पत्रावली पर उपलब्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार वादी मुकदमा मौ0

Digitally signed by SYED MAOOZ BIN ASIM
Date: 2026.03.06 17:51:27 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

रजा द्वारा एक प्रार्थना पत्र वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद को इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि, प्रार्थी ने मौहम्मद उस्मान पुत्र जमालुद्दीन, निवासी ग्राम चमरौआ थाना मूण्डापाण्डे, जिला मुरादाबाद से 28 बीघा आराजी काश्त का सौदा 38,000,00/–रुपये में किया था, जिसमें प्रार्थी ने उक्त उस्मान को 25,41,000/–रुपये अलग–अलग तिथियों में दिनांक 29.11.2018 तक अदा कर एक एग्रीमेंट दिनांक 07.09.2017 को तथा दूसरा एग्रीमेंट 29.11.2018 को नोटरी द्वारा सत्यापित कराये थे तथा उक्त उस्मान ने प्रार्थी को उक्त आराजी पर पूर्ण रूप से कब्जा दे दिया था तथा उक्त जमीन को समतल करके उस पर आम के बाग हेतु पेड़ लगा दिये थे, परंतु सिंडिकेट बैंक का 12,59,000/– रुपये बकाया था, जिसकी अदायगी भी प्रार्थी को ही करनी थी, परंतु उक्त उस्मान की नीयत में बदी आ गया गई तथा उक्त उस्मान प्रार्थी को उक्त एग्रीमेंटशुदा आराजी को वापस करने का जबरन दबाव बनाने लगा तथा प्रार्थी के मना करने पर प्रार्थी को फर्जी मुकदमों में फंसाने की धमकी देने लगा। तब प्रार्थी ने उक्त मौ0 उस्मान, इमरान, इस्लाम पुत्रगण जमालुद्दीन, रिजवान, शाहरुख खान, सलमान पुत्रगण मौ0 उस्मान व अन्य के विरुद्ध, जिनके मुहँ से ढांटै बधे हुए थे, जिनको प्रार्थी नहीं पहचान पाया के विरुद्ध असं 110/2023, धारा–147, 148, 149, 504, 506, 336, 420, 406, आईपीसी, थाना मूण्ढापाडे में अभियोग पंजीकृत कराया जिसकी छायाप्रति संलग्न प्रार्थना पत्र है, परंतु उसके बावजूद भी प्रार्थी दिनांक 01.11.2024 को समय करीब 09:00 बजे अपनी उक्त आराजी को जोतने के लिये खेत पर गया था, तभी उक्त उस्मान आदि समय करीब शाम 04:00 बजे लाठी–डंडों, तमंचों, सरियों से लैश होकर प्रार्थी के पास गंदी–गंदी गालियों देते हुए खेत में जबरन घुस आये और प्रार्थी पर जान से मारने की नीयत से अंधाधुन्ध फायर करने लगे तथा प्रार्थी अपने जान बचाने हेतु खाई का सहारा लेकर नीचे दूसरे खेत में गिर गया तथा फायर की आवाज पर अन्य खेतों में काम कर रहे व्यक्ति वली मौहम्मद व विक्की आदि मौके पर आ गये, जिन्होंने प्रार्थी को उक्त उस्मान आदि से बचाया तथा उस्मान आदि को ललकारा अगर उक्त वली मौहम्मद व विक्की व अन्य लोग मौके पर नहीं आते तो आवश्य ही उस्मान आदि प्रार्थी को जान से मार देते। वादी मुकदमा के उपरोक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर सम्बन्धित थाने पर अभियुक्तगण मौ0 उस्मान, इमरान, इस्लाम, रिजवान, शाहरूख खान, सलमान व अज्ञात के विरूद्ध धारा–352, 109, 190, 191(3), 191(2) बी0एन0एस0 में मुकदमा पंजीकृत किया गया।

4. उभय पक्षों को सुना गया तथा उपलब्ध प्रपत्रों का अवलोकन किया गया।

5. प्रार्थी/अभियुक्तगण द्वारा अपने अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र में यह कथन किया गया है कि,, प्रार्थीगण को सम्बन्धित मुकदमा उपरोक्त में रंजिशन झूठा फंसाया गया है।

प्रार्थीगण निर्दोष है। प्रथम सूचना रिपोर्ट दि० 04.11.2024 की दर्ज करायी गयी है जबकि घटना दि० 01.11.2024 बताई गयी है। जिसमें तीन दिन का बिलम्ब दर्शाया गया है तथा देरी का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। प्रार्थीगण बिल्कुल निर्दोष है, प्रार्थीगण ने कोई अपराध कारित नहीं किया है। घटना का कोई चश्मदीद गवाह नहीं है। उपरोक्त मुकदमा नो इंजरी केस है कोई आर्म्स इंजरी नहीं है। उपरोक्त मुकदमें में वादी मुकदमा द्वारा जमीन के बंटवारे को लेकर रंजिश रखते हुए एक ही परिवार के सारे मुल्जिम बनाये गये हैं। प्रथम सूचना रिपोर्ट में जैसी घटना दिखाई गयी है ऐसी कोई घटना नहीं घटित हुई हैं समस्त कहानी झूठी एवं मनगढन्त तथ्यों पर आधारित है। मुकदमा वादी ने सन 2023 में भी एक मु०अ०सं० 110/2023 अन्तर्गत धारा–147,148,149,504,506,336,420,406 आई०पी०सी० प्रार्थीगण के विरूद्ध थाना मूण्ड़ापाण्डे में झूठा मुकदमा दर्ज कराया है, जिसको थाना हाजा की पुलिस द्वारा कोई साक्ष्य एवं कोई घटना कारित न होने की दशा में अन्तिम रिपोर्ट माननीय न्यायालय में प्रेषित कर दी थी। माननीय न्यायालय द्वारा दि० 08.04.2025 को एफ०आर० को सही मानते हुए स्वीकार कर ली थी, आदेश की प्रति संलग्न है। प्रार्थीगण पर धारा–109 (1) बी०एन०एस० का अपराध नहीं बनता है। प्रार्थीगण का जमीन के बटवारे को लेकर वाद माननीय न्यायालय उपजिलाधिकारी महोदय के यहां विचाराधीन है। प्रार्थीगण का पूर्व में कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थीगण घटना स्थल पर थे और ना ही इस घटना की जानकारी है। प्रार्थीगण की ओर से यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र श्रीमान जी के समक्ष गुजारा गया है। इसके अतिरिक्त कोई अन्य प्रार्थना पत्र उच्च न्यायालय इलाहाबाद/लखनऊ या किसी उच्च न्यायालय में उक्त अपराध के सम्बंध में नहीं गुजारा गया है, ना ही विचाराधीन है और ना ही निरस्त हुआ है। प्रार्थीगण उपरोक्त पते के स्थाई निवासीगण है व देश से बाहर जाने का कोई प्रश्न नहीं है और ना ही किसी न्याय की अवहेलना करेगें, ना ही बिना अनुमति के देश से बाहर जायेगें। प्रार्थीगण इस बात का आश्वासन देते है कि माननीय न्यायालय द्वारा बुलाया जायेगा, प्रार्थीगण उपस्थित रहेगें। प्रार्थीगण इस बात की अन्डरटैकिंग देते है कि प्रार्थीगण किसी तरह से भी प्रत्यक्षता या अप्रत्यक्षता किसी भी व्यक्ति को जो मुकदमें से सम्बन्धित हो दबाव धौंस नहीं डालेगे या किसी भी व्यक्ति को जो मुकदमें की सत्यता से सम्बन्धित हो कोई दबाव किसी तरह का नहीं डालेगें। प्रार्थीगण पर जो भी जमानती आदेश में शर्त आयद की जायेगीं, उनका पूर्णतया पालन करेगें। उक्त आधारों पर गिरफ्तारी की आशंका दर्शाते हुये, अग्रिम जमानत प्रदान किये जाने की याचना की गयी है।

6. विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि, प्रार्थी/अभियुक्त ने अन्य सह–अभियुक्त के साथ मिलकर वादी मुकदमा को जान

से जान से मारने की नीयत से उसके ऊपर आग्नेयास्त्रों से फायर किया है। अपराध गंभीर प्रकृति का है। अभियुक्तगण अग्रिम जमानत पाने योग्य नहीं है।

7. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुशीला अग्रवाल बनाम स्टेट (एन.सी.टी. ऑफ देहली) एवं अन्य ए.आई.आर. ऑन लाइन 2020 एस. सी. पृष्ठ 74 में यह मत अभिव्यक्त किया गया है कि अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार करते समय न्यायालय द्वारा अभियुक्त की भूमिका, आरोप, आरोपित अपराध की प्रकृति व गम्भीरता, आवेदक के पूर्व कृत्य विशेषकर पूर्व में दोषसिद्धि आदि, आवेदक के न्यायिक प्रक्रिया से भागने की सम्भावना, आवेदक द्वारा पुनः अपराध कारित करने की सम्भावना, आरोप आवेदक को नुकसान पहुॅचाने की नियत से लगाये जाने, अग्रिम जमानत स्वीकार करने से समाज पर पड़ने वाले प्रभाव, आवेदक को धारा–34 व धारा–149 भा0दं0संहिता की सहायता से आरोपित करने की परिस्थिति, आवेदक को स्वतंत्र विचारण से प्रीज्युडिस होने और उसके निरूद्ध रहने से उसकी प्रताड़ना होने, आवेदक की अभिरक्षा अनुचित होने, आवेदक द्वारा साक्षियों को तोड़ने–मोड़ने और वादी को धमकी देने की परिस्थिति आदि तथ्यों पर विचारण करना चाहिए।

8. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त सिद्धान्त के आलोक में पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों के अवलोकन से प्रथम दृष्टया विदित है कि, तहरीर प्रथम सूचना रिपोर्ट में वर्णित कथनानुसार प्रार्थी/अभियुक्त मौ0 उस्मान ने वादी से अपनी 28 बीघा आराजी काश्त को बेचने का सौदा मुबलिग 38,00,000/–रूपये में वादी से किया था, जिसके चलते प्रार्थी/अभियुक्त मौ0 उस्मान ने वादी से कुल मुबलिग 25,41,000/–रूपये अलग–अलग तिथियों में दिनांक 29.11.2018 तक अदा कर एक एग्रीमेंट दिनांकित 07.09.2017 व दूसरा एग्रीमेंट दिनांकित 29.11.2018 जरिये नोटरी निष्पादित किया और प्रार्थी/अभियुक्त उस्मान ने वादी को उक्त आराजी पर कब्जा भी दे दिया था, जिसे समतल करके वादी ने उस पर आम के बाग लगा दिये थे। उक्त जमीन पर मुबलिग 12,49,000/–रूपये सिडिंकेट बैंक का बकाया था, जिसकी अदागयी भी वादी को करनी थी, परन्तु प्रार्थी/अभियुक्त मौ0 उस्मान की नीयत में बदी आ गयी और उसने वादी पर एग्रीमेंटों को वापस करने का जबरन दबाव बनाया, जब वादी ने मना किया तो प्रार्थी/अभियुक्त उस्मान ने उसे झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी, जिसके सम्बन्ध में वादी ने प्रार्थी/अभियुक्तगण व अन्य के विरूद्ध मुकदमा अपराध संख्या–110/2023, अन्तर्गत धारा–147, 148, 149, 504, 506, 336, 420, 406 भा0दं0संहिता, थाना मूढापाण्डे में पंजीकृत कराया। दिनांक 01.11.2024 को जब वादी अपनी आराजी को जोतने के लिए खेत पर गया, तो प्रार्थी/अभियुक्त उस्मान व अन्य सह–अभियुक्तगण अपने हाथों में लाठी–डण्डे, तमंचों से लैस होकर

वादी को गन्दी–गन्दी गालियां देते हुए वादी के खेत में जबरन घुस आये व अन्धाधुन्ध फायरिंग करने लगे। वादी अपनी जान बचाते हए खाई का सहारा लेकर दूसरे खेत में गिर गया, अर्थात प्रश्नगत मामले में वादी को आग्नेयास्त्र की कोई चोट कारित नहीं हुई है। इसके अतिरिक्त पत्रावली में कोई भी ऐसी चिकित्सीय आख्या संलग्न नहीं है, जिससे वादी को अन्य किसी प्रकार की चोट आना भी परिलक्षित होता हो। इसके अतिरिक्त वादी ने तहरीर प्रथम सूचना रिपोर्ट व अपने बयान में प्रार्थी/अभियुक्त उस्मान द्वारा जिन दो एग्रीमेन्टों को वादी के हक में निष्पादित किये जाने का कथन किया है तथा जिन्हे मुकदमे का आधार बनाया है, को विवेचक द्वारा दौरान विवेचना संकलित नहीं किया गया है। पक्षों के मध्य मुख्य विवाद दीवानी प्रकृति का परिलक्षित होता है। इसके अतिरिक्त विवेचक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा क्रिमिनल याचिका संख्या–21069/2024, मौ0 उस्मान व पांच अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित आदेश दिनांकित 22.11.2024 के प्रकाश में प्रार्थी/अभियुक्तगण को दौरान विवेचना गिरफ्तार नहीं किया गया है और बिना गिरफ्तारी आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया है।

9. अतएव मामले के समस्त तथ्य, परिस्थितियों एवं माननीय उच्चतम न्यायालय की उक्त विधि–व्यवस्था के आलोक में न्यायालय इस मत की है कि, प्रार्थी/अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत प्रदान किये जाने का पर्याप्त आधार है। तदनुसार प्रार्थी/अभियुक्तगण का अग्रिम प्रार्थना पत्र निम्न शर्तो के अधीन स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्तगण मौहम्मद उस्मान, इमरान, इस्लाम, रिजवान, शाहरूख खान व सलमान का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र, मुकदमा अपराध संख्या–579/2024, धारा–191(2), 191(3), 190, 109(1), 352 बी0एन0एस0, थाना मूढापाण्डे, जिला मुरादाबाद के सम्बन्ध में, स्वीकार किया जाता है। अभियुक्तगण प्रत्येक को मुबलिग 1,00,000/–रूपये (एक लाख रूपए) का स्वबंधनामा तथा समान राशि की एक–एक प्रतिभू सम्बन्धित मजिस्ट्रेट की संतुष्टि पर प्रस्तुत करने पर, निम्न शर्तो के अधीन अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाये।

(i)– आरोप की सुनवाई तक वे प्रत्येक नियत दिनांक पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेंगे।

(ii)– दौरान विचारण साक्षीगण के उपस्थित आने पर वह किसी प्रकार का स्थगन प्रस्तुत नहीं करेंगे तथा दौरान वाद निवास स्थान को परिवर्तित करने की दशा में न्यायालय को सूचित करेंगे।

(iii)– न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना भारत नहीं छोड़ेंगे।

उपरोक्त में से किसी शर्त के उल्लंघन होने पर प्रार्थी/अभियुक्तगण को प्रदत्त अग्रिम जमानत पर पुर्नविचार किया जा सकेगा।

(सै0 माऊज़ बिन आसिम)
सत्र न्यायाधीश,
मुरादाबाद।
06.03.2026

स्टेनो–राजीव कुमार।